ग्राम पंचायत रियाली, विकास खण्ड फतेहपुर, जिला काँगड़ा, हि• प्र• –176058 के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023

भाग–एक

1. (क)प्रस्तावना

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत रियाली, विकास खण्ड फतेहपुर, जिला काँगड़ा हि0 प्र0 के अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा प्रथम बार किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक व ग्राम रोजगार सेवक कार्यरत रहे :–

प्रधानः–

क्र•स•	नाम	अवधि
1	श्रीमती उर्मिला देवी	01.04.2021 से 31.03.2023

सचिव :–

क्र•स•	नाम	अवधि
1	श्री स्वरूप सिंह	01.04.2021 से 31.03.2023

तकनीकी सहायक :–

क्र•स•	नाम	अवधि
1	श्री विशाल शर्मा	01.04.2021 से 09.04.2022
2	श्री स्वर्ण सिंह	10.04.2022 से 31.03.2023

ग्राम रोजगार सहायक :–

क्र•स•	नाम	अवधि
1	श्री शशि कांत	01.04.2021 से 04.06.2022
2	श्री राजेश कुमार छत्रालियां	05.06.2022 से 31.03.2023

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः—

ग्राम पंचायत रियाली के अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः—

क्र0सं0	पैरा सं॰	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	4 (ग)	रोकड़ बही व बैंक के अन्त शेषो में अन्तर पाया जाना	0.17
2	5.1	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	27.23
3	6.1	पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष पाया जाना	1.00
4	6.2	सम्पति कर/गृहकर से प्राप्त आय को बैंक में जमा न करवाना	0.04
5	6.4	विवाह पंजीकरण शुल्क का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.11
6	7.1	क्रय किये गये सामान की स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति व खपत दर्ज न करना	44.79
7	7.2	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक का क्रय करना	11.06
8	7.3	खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों के समर्थन में नियमानुसार अपेक्षित अभिलेख की अनुपस्थिति में रॉयल्टी की कटौती न करने के फलस्वरूप सम्भावित राजकीय राजस्व हानि	2.39
9	8	माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करना	26.70
10	10	मूल बिल की अपेक्षा प्रोफार्मा बिल पर भुगतान करना	4.16

भाग—दो

2. वर्तमान अंकेक्षणः—

ग्राम पंचायत रियाली के अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023 के लेखों का प्रथम व वर्तमान अंकेक्षण श्री प्रवीन कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 13.03.2024 से 20.03.2024 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में किया गया। आय व्यय की विस्तृत जाँच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्वः स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गयाः—

वर्ष	आय	व्यय
2021–22	02/2022	11/2021
2022–23	03/2023	05/2022

अस्वीकरणः—वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्कः—

ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023 के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹5600/– आंका गया है। अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–171009 को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा/अ.वृ.का. /2024/–127 दिनांक 20.03.2024 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया। सचिव द्वारा अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक बडूखर के मल्टीसिटी चैक संख्या 627465 दिनांक 28.03.2024 द्वारा निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग को प्रेषित कर दिया गया है।

4.1 (क).वित्तीय स्थितिः—

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ.वृ.का. /2024/–114 दिनांकः 13.03.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 के लेखों की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–1** में दिया गया हैः—

1.स्वः—स्त्रोतः—

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कॉलम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कॉलम 4–5)
1	2	3	4	5	6
2021-22	52045.00	652680.00	704725.00	467246.00	237479.00
2022-23	237479.00	520635.00	758114.00	433581.00	324533.00

2.अनुदानः—

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कॉलम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कॉलम 4—5)
1	2	3	4	5	6
2021-22	2610311.00	5761278.00	8371589.00	5634794.82	2736794.18
2022-23	2736794.18	9721974.32	12458768.50	9735431.57	2723336.93

कुल योग (1+2) 324533.00 +2723336.93 **=3047869.93**

(ख) बैंक समाधान विवरणीः—

ग्राम पंचायत की दिनांक 31.03.2023 को रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति से ₹3047869.93 तथा बैंक खातों/हस्तगत राशि **परिशिष्ट—3** के अनुसार अन्तशेष 3293536.68 व **परिशिष्ट—3.1** से सम्बन्धित बैंक समाधान विवरणी निम्नानुसार हैः—

	बैंक खातों की विवरणीः—			
क्र	विवरण	बैंक	खाता	अन्त शेष (₹)
1	स्वःस्त्रोत/5वां वितायोग	का•के•सह•बैंक बड़ूखर	20052006820	324533
2	टी•एस•सी/एस.बी.एम	का•के•सह•बैंक बड़ूखर	50055364632	0
3	वी•के•वी•एन•वाई/एस•डी•पी	का•के•सह•बैंक बड़ूखर	50055364564	21108
4	एम•पी•लेड	का•के•सह•बैंक बड़ूखर	50055364575	23340
5	पी•एस	का•के•सह•बैंक बड़ूखर	50055364520	0
6	जेड•पी	का•के•सह•बैंक बड़ूखर	50055363661	7222
7	14वाँ वित्तायोग	का•के•सह•बैंक बड़ूखर	50055363638	0
8	15वाँ वित्तायोग	एच•जी•बैंक बड़ूखर	87880100051469	2917333.68
9	हस्तगत शेष			0
बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2023 का कुल योगः—				₹3293536.68
दिनांक 31.03.2023 को बैंक समाधान विवरणी :—				
रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति के अनुसार (पैरा 4) अन्तशेषः—				₹3047869.93
पंचायत के बैंक खातों का दिनांक 31.03.2023 का अन्तशेषः—				₹3293536.68
अन्तरः—				₹245666.75

दिनांक 31.03.2023 को बैंक समाधान विवरणीः–

पंचायत के बैंक खातों का दिनांक 31.03.2023 को अन्तशेष	₹3293536.68
घटाव :–1. 15वां वितायोग, वाउचर संख्या 38, रो.बही.पृ. 21, दिनांक 31.03.23 को जारी, परन्तु भुगतान 01.04.23 को हुआ **₹24840** 2. 15वां वितायोग, वाउचर संख्या 39,रो.बही पृ. 21, दिनांक 31.03.23 को जारी परन्तु भुगतान 01.04.23 को हुआ **₹150300** 3. 15वां वितायोग, वाउचर संख्या 40,रो.बही पृ. 21, दिनांक 31.03.23 को जारी परन्तु भुगतान 01.04.23 को हुआ **₹40241.75** 4. 15वां वितायोग, वाउचर संख्या 41,रो.बही पृ. 21, दिनांक 31.03.23 को जारी परन्तु भुगतान 01.04.23 को हुआ **₹23727** 5. 15वां वितायोग, वाउचर संख्या 42,रो.बही पृ. 21, दिनांक 31.03.23 को जारी परन्तु भुगतान 01.04.23 को हुआ **₹23727** कुल **262835.75**	262835.75
पंचायत के बैंक खातों का दिनांक 31.03.2023 को संशोधित अन्तशेष	**₹3030700.93**
रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति के अनुसार (पैरा 4) अन्तशेष	**₹3047869.93**
वास्तविक अंतर	17169

नोटः– अंतर का कारण पंचायत द्वारा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना।

(ग) रोकड़ बही का बैंक खातों के साथ नियमानुसार मिलान न करने के कारण ₹0.17 लाख का अन्तर पाया जानाः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत रियाली द्वारा हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7(3) व 10(1) की अनुपालना में बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की गई थी, जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31.03.2023 को रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹17169/- का अन्तर रोकड़ बही में अधिक शेष के रूप में था, जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा–4 (ख) में दिया गया है।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/115 दिनांक 15.03.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–जी.पी.रियाली/01 दिनांकः 20.03.2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि बैंक समाधान विवरणी तैयार करके अन्तर का मिलान कर दिया जायेगा।

अतः इस बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए तदानुसार वर्तमान में अन्तर का शीघ्रातिशीघ्र मिलान करके अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करके तथा बैंक एवं रोकड़ बही का मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(घ) लेखा खाता/खाताबही तैयार न करनाः—

हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 29(1 से 3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप—7 में लेखा खाता/खाता बही तैयार करने का प्रावधान है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अंकेक्षण अवधि की खाताबही/लेखा खाते तैयार नहीं किए गए थे। अंकेक्षण अवधि की खाताबही/लेखा खाते तैयार न करने के कारण वर्तमान अंकेक्षण के दौरान चयनित मास के वाउचरों का अवलोकन करने पर इस तथ्य की पुष्टि सम्भव न हो सकी कि निम्न तालिका में दर्शाए गए कार्यो हेतु कितनी—कितनी राशि प्राप्त हुई व कितना व्यय हुआ है तथा निम्न कार्यो को पूरा किया जा चुका है अथवा नहीं।

अनुदान शीर्ष	वाउचर सं/दिनांक	कार्य का नाम	राशि (₹)
1.एस.बी.एम	08/16.11.2021	निर्माण सी.एस.सी खेल मैदान बेला लुधायडचा वार्ड—5	8400
2.एस.बी.एम	03/19.05.2022	निर्माण सार्वजनिक शौचालय खेल मैदान बेला लुधायडचा वार्ड—5	71488
3.वी.के.वी. एन.वाई	01/11.05.2022	निर्माण रोड ख्वाजी से लेकर तक मुहल्ला ढांगू की ओर वार्ड—2	107232
4. वी.के.वी. एन.वाई	01/11.05.2022	निर्माण रोड हैण्डपम्प बेला ठाकरा से लेकर नवें घर की ओर वार्ड—4	142976

यह एक गम्भीर अनियमितता है। इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/126 दिनांकः 20.03.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः—जी.पी रियाली/01 दिनांक 20.03.2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि वर्तमान समय से खाताबही/लेखा खाते तैयार किये जा रहे है। प्रस्तुत उत्तर तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः अंकेक्षण अवधि की खाताबही/लेखा खाते तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा अंकेक्षण अवधि की खाताबही/लेखा खाते तैयार करते हुए भविष्य में भी

खाताबही/लेखा खाते तैयार किये जाने सुनिश्चित किये जाये व कृत सुधारात्मक अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

(ङ) खाता–क व खाता–ख का रख–रखाव अलग–अलग न रखनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार नियम 3 में दर्शाई सहिंता संख्या 01 से 50 में वर्णित आय पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत माने जायेंगे और ऐसी आय के लिये पंचायत निधि खाता–क खोला जायेगा। इसी तरह नियम 3 में दर्शाई सहिंता संख्या 51 से 99 में वर्णित आय सहायता अनुदान विशेष प्रयोजनो के लिये आबंटित निधियाँ और प्राप्त ऋण हेतु खाता–ख खोला जायेगा। इसके अतिरिक्त निदेशक पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पी.सी.एच–एच.ए (5) सी (15) –(13) (एल) 5–47005–81 दिनांक 15.02.2012 के अनुसार स्कीम वाईज खाते खोले जाने का प्रावधान है। ग्राम पंचायत रियाली द्वारा स्वयं स्त्रोत व अनुदान राशि का खाता–क व खाता–ख अलग अलग से तैयार नहीं किया गया था बल्कि स्वः स्त्रोत व अनुदानो जैसे कि 5वां वित इत्यादि की सयुंक्त रोकड़ बही लगाई गई थी तथा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार स्वः स्त्रोत, पांचवा वित आदि शीर्षो के अन्तर्गत नियमों एंव निर्देशो के विरूद्ध खाता संख्या 20052006820 में ही प्राप्त अनुदानो को जमा किया गया तथा इससे ही व्यय किया गया था, जो पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है। जोकि नियमों के विपरीत है। इस अनियमितता के कारण किसी व्यय के दो बार भुगतान होने तथा धन के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/126 दिनांकः 20.03.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या जी.पी रियाली/01 दिनांक 20.03.2024 द्वारा दिया गया उत्तर कि भविष्य में खाता–क व खाता–ख का अलग–अलग अनुसंधारण कर दिया जायेगा।

अतः निर्देशों/नियमानुसार रोकड़ बही एवं स्कीमवार बैंक खातों का रख–रखाव न करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में खाता–क व खाता–ख के अनुरूप रोकड़ बही एवं स्कीमवार बैंक खातों का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

5.1 अनुदान राशि ₹27.23 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जानाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशियों को फंडिग एजेन्सी की अपेक्षाओं एंव मार्गदर्शन अनुसार निर्धारित उद्देश्य हेतु व्यय किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2023/–114 दिनांकः–13.03.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत सूचना जो कि **परिशिष्ट–1** व **परिशिष्ट–2** पर संलग्न है, के अनुसार दिनांक 31–03–2023 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से ₹2723336.93 की राशि उपयोग हेतु शेष थीः–

क.स.	अनुदान का नाम	दिनांक	राशि (₹)
1.	वी.के.वाई.एन.वाई/एस.डी.पी	31.03.2023	17239
2.	एम.पी.लेड	31.03.2023	23340
3.	जेड.पी	31.03.2023	5429
4.	14वाँ वित्तायोग	31.03.2023	22831
5.	15वाँ वित्तायोग	31.03.2023	2654497.93
		कुल जोड	**2723336.93**

उपरोक्त तथ्य स्पष्ट करते हैं कि उक्त शीर्षो के अन्तर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यो का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा सरकार द्वारा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है। इस राशि के उपयोग/व्यय न करने बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/116 दिनांकः 15.03.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्यः–जी.पी रियाली दिनांक 20.03.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि अनुपयोग अनुदान राशि की सक्षम अधिकारी से स्वीकृति लेकर उपयोग कर लिया जायेगा ।

अतः अनुदान राशि को अंकेक्षण अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए उक्त राशि को नियमानुसार निर्धारित उद्देश्यों हेतु व्यय करना सुनिश्चित किया जाए तथा तदानुसार कृत अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र अवगत करवाया जाये।

5.2 अनुदान रजिस्टर का रख–रखाव न करना :–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 61(1) के अंतर्गत उल्लेखित फार्म 21 के अनुसार अनुदान रजिस्टर का संधारण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा अनुदान रजिस्टर का रख–रखाव नहीं किया गया था जिसके अभाव में प्रस्तुत अनुदानो की वित्तीय स्थिति का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका। अतः भविष्य में नियमों के अनुसार रजिस्टर तैयार एवं अद्यतन(Update) करके समस्त

प्राप्त अनुदान व अनुदान राशि से किये गये व्यय का लेखाकंन अनुदान रजिस्टर में करने उपरांत अंकेक्षण सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

6.1 सम्पति कर/गृहकर की राशि ₹0.19 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जानाः—

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 34 (2) के अनुसार पंचायत को देय कोई भी रकम पर्याप्त कारणों के बिना परादेय (outstanding) नहीं रखी जाएगी।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/114 दिनांकः 13/03/2024 की अनुपालना में प्रस्तुत **परिशिष्ट "4"** पर संलग्न सूचना के अनुसार सम्पत्तिकर/गृहकर की मद में ₹1,00,035/— की राशि दिनांक 31.03.2023 को वसूली हेतु शेष थी। इतनी अधिक राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना यह स्पष्ट करता है कि पंचायत पर्याप्त कारणों के बिना अपने राजस्व की नियमित उगाही के प्रति गंभीर नहीं है। सम्पत्ति कर/गृहकर की वसूली न करने से उस पर अर्जित ब्याज से होने वाले लाभ से भी पंचायत को वंचित होना पड़ा।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/117 दिनांकः—16.03.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः—जी.पी रियाली/01 दिनांक 20.03.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि वर्तमान समय से सम्पति कर/गृहकर की वसूली की जा रही है तथा वसूली उपरान्त निधि में जमा करवा दिया जायेगा। प्रस्तुत उत्तर तथ्यों एवं आंकड़ों के अभाव में संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः पंचायत राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों की तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली प्राथमिकता के आधार पर प्रतिवर्ष की जानी सुनिश्चित की जाए तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

6.2 सम्पति कर/गृहकर से प्राप्त आय ₹0.04 लाख को बैंक में जमा न करवानाः—

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(2) के अनुसार पंचायत द्वारा आय में प्राप्त धन राशियों को संबंधित बैंक में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत रियाली की सम्पति कर की रसीद बुकों के अवलोकन पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार ₹3800 ग्राम पंचायत द्वारा बैंक में कम जमा करवाये गये थे :—

क्र0सं0	रसीद संख्या	रोकड़ बही पृष्ठ संख्या	प्राप्त आय	बैंक में जमा	कम जमा
1	160701 से 160800	निल	30200	151550	3800
2	161301 से 161400	निल	31700		
3	160401 से 160500	निल	30750		
4	160501 से 160600	निल	29850		
5	160801 से 160900	निल	32850		
		जोड	**155350**	**151550**	**3800**

यह न केवल गम्भीर अनियमितता है, अपितु आपतिजनक भी है, जिससे पंचायत स्वःस्त्रोतों की आय के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। उक्त राशि को बैंक में जमा न करवाने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2023/118 दिनांकः 16/03/2024 के अन्तर्गत सचिव ग्राम पंचायत रियाली के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–जी.पी रियाली/01 दिनांक 20.03.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त राशि को बैंक में जमा करवा दिया जायेगा।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत इसे अविलम्ब पंचायत निधि में जमा करवाना सुनिश्चित करें भविष्य में इस प्रकार की गलती की पुनरावृत्ति न हो यह भी सुनिश्चित किया जाए व कृत अनुपालना से अंकेक्षण को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाए।

6.3 गृहकर मांग व संग्रहण रजिस्टर तैयार न करनाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम के नियम 33 व 77 के अनुसार फार्म 10 पर पंचायत के गृहकर की मांग व एकत्रीकरण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित है।

पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत के गृहकर मांग व एकत्रीकरण रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था अथवा अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके अभाव में **परिशिष्ट "4"** पर दर्शाए दिनांक 31.03.2023 को सम्पति कर/गृहकर के रूप में वसूली हेतु शेष राशि की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः गृहकर मांग एवं संग्रहण रजिस्टर तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व शीघ्रातिशीघ्र इसे तैयार करना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाये।

6.4 विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में राशि ₹0.11 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना:–

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या–SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 के अनुसार विवाह के पंजीकरण हेतु ₹200 (सामान्य) व आई.आर.डी.पी / बी.पी.एल. के लिये ₹25 पंजीकरण शुल्क व 30 दिनो के बाद 90 दिनो के भीतर ₹400 (सामान्य) से व ₹ 50 आई.आर.डी.पी / बी.पी.एल से प्रति विवाह पंजीकरण शुल्क वसूल करके सरकारी कोष में जमा करवाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान विवाह शुल्क रजिस्टर के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट "5"** पर संलग्न सूचना के अनुसार 51 विवाह पंजीकृत किये गये थे, जिस हेतु ₹200/400 की दर से कोई राशि नहीं वसूली गई थी। जबकि उक्त वर्णित दरों के अनुसार ₹11200 वसूल किये जाने अपेक्षित थे।

उक्त वसूली न करने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/117 दिनांकः 16/03/2024 के अन्तर्गत सचिव ग्राम पंचायत रियाली के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–जी.पी रियाली/01 दिनांक 20.03.2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि बकाया विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली करके सरकारी कोष में जमा करवा दी जायेगी।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत उक्त देय राशि की वसूली अविलम्ब करते हुये सरकारी कोष में जमा करना सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

7.1 क्रय किये गये सामान राशि ₹44.79 लाख का स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति व खपत से सम्बन्धित लेखांकन न होना:–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 72(1) (ए.बी.सी.डी.) के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किये गए भंडार का उसकी स्थायी व अस्थायी प्रकृति के अनुरूप प्रारूप 25,26,27 व 28 में लेखांकन किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत रियाली के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 तक के दौरान की गई खरीद के वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट–"6"** पर संकलित राशि ₹44,78,814/– के स्टॉक को क्रय उपरान्त स्टाक रजिस्टरों में दर्ज नहीं किया गया था, जिससे क्रय हेतु कृत व्यय का पूर्ण अंकेक्षण संभव न हो सका।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/123 दिनांकः–18.03.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–जी.पी रियाली/01

दिनांक 20/03/2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि वर्तमान समय से स्टॉक प्रविष्टियां की जा रही है। प्रस्तुत उतर तथ्यों एवं आंकड़ों के अभाव में संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः क्रय किये गये सामान का सम्बन्धित स्टोर/स्टॉक रजिस्टरों में इन्द्राज न करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुये इसका इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित किया जाए व भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति को रोका जाये तथा कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को शीघ्रातिशीघ्र अवगत करवाया जाये।

7.2 निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही राशि ₹11.06 लाख के स्टॉक का क्रय करना:—

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) के अन्तर्गत पंचायत द्वारा किये जाने वाले व्यय से सम्बन्धित निविदा आदि औपचारिकताएं प्रावधित हैं।

ग्राम पंचायत रियाली के व्यय वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट—"6"** में दिए गए विवरणानुसार ₹11,05,568/— का व्यय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है।

उपरोक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/122 दिनांकः 18/03/2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः—जी.पी. रियाली/01 दिनांक 20/03/2024 द्वारा सूचित किया गया भविष्य में औपचारिकताओं को पूर्ण करके सामान क्रय किया जायेगा। प्रत्युतर संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करते हुये इस को सक्षम प्राधिकारी की कार्योतर स्वीकृति से नियमित करवाया जाये अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके संबंधित खाते में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए व भविष्य में बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाते हुये ही नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

7.3 खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों के समर्थन में नियमानुसार अपेक्षित अभिलेख की अनुपस्थिति में रॉयल्टी की कटौती न करने के फलस्वरूप सरकारी कोष को ₹2.39 लाख की सम्भावित राजस्व हानिः—

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल नियम 2015 के नियम 81 व 81—ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास फॉर्म डब्लयू या

सप्लीमेंटरी पास फॉर्म X उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निर्धारित दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25 प्रतिशत पेनल्टी के साथ करना होगा।

ग्राम पंचायत द्वारा [redacted] "7" पर संलग्न चुनिंदा वाउचरों के तहत निर्माण कार्यो के निष्पादन हेतु आपूर्तिकर्ताओं से खनन सामग्री जैसे रेत,बजरी,पत्थर इत्यादि की आपूर्ति पर उक्त ट्रांजिट पास फॉर्म अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए थे। परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को ₹2,39,186/– का अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक:राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/125 दिनांक:–19.03.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या:–जी.पी.रियाली/01 दिनांक 20/03/2024 द्वारा सूचित किया गया कि गत समय में रॉयल्टी की कटौती नहीं की गई है जिसकी वसूली आगामी समय में करके किश्तो में जमा करवा दिया जायेगा तथा अंकेक्षण को भी अवगत करवा दिया जायेगा। दिया गया उत्तर अंकेक्षणापति के अनुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं है। क्योंकि ट्रांजिट पास फॉर्म को उपलब्ध न करवाने की स्थिति में आपूर्तिकर्ता को खनन सामग्री की राशि का भुगतान रॉयल्टी की कटौती 25 प्रतिशत पेनल्टी सहित करने के पश्चात किया जाना अपेक्षित था।

अतः उक्त किये गये अनियमित भुगतान को या तो समर्थित अभिलेख सहित न्यायोचित ठहराया जाये अथवा इस प्रकरण को सम्बन्धित विभाग से उठाते हुये तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये अन्यथा अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके हिमाचल प्रदेश सरकार के आय लेखा शीर्षक "0853" नॉन फैरस माइनिंग एवं मेटोलोजिकल इंडस्ट्रीज उप–शीर्ष "102" मिनरल कन्सेशन फीस किराया एवं रॉयल्टीज "81" खनिज फीस रियायत आदि में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये। पूर्वोक्त मामलों के अतिरिक्त अंकेक्षण अवधि में क्रय की गई निर्माण सामग्री हेतु रॉयल्टी की राशि की संस्था/विभागीय स्तर पर समुचित गणना कर उसकी भी वस्तुस्थिति अनुसार वसूली उचित स्त्रोत से करके कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8 ₹26.70 लाख के निर्माण कार्यो की माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करने बारे:–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 79(2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह के व्यय वाउचरो के समर्थन में निम्न विवरणानुसार राशि ₹26,69,902/– के निर्माण कार्यो की माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे किये गये व्यय का पूर्ण अंकेक्षण संभव न हो सकाः–

क्र0 सं0	अनुदान	वाउचर संख्या/दिनांक	निर्माण कार्य का नाम	राशि (₹)
1	मनरेगा	03/17.11.2021	अपवर्धन खेल मैदान बेला लदयारचा बास्केट बॉल फिलिंग	30875
2	मनरेगा	04/17.11.2021	अपवर्धन खेल मैदान बेला लदयारचा क्रिकेट फिलिंग	30875
3	मनरेगा	05/17.11.2021	अपवर्धन पंचवटी बेला लदयारचा फिलिंग	30875
4	मनरेगा	06,07/17.11.2021	निर्माण जीपेवल रास्ता वार्ड–4 ग्रा.प. रियाली	25878
5	मनरेगा	10/17.11.2021	निर्माण जीपेवल रास्ता वार्ड–7 ग्रा.प. रियाली	14200
6	मनरेगा	23/17.11. 21,निल/17.05.22	निर्माण जीपेवल रास्ता मेंन चौक से सरवन के घर तक	354783
7	मनरेगा	24/17.11. 21,निल/17.05.22	निर्माण जीपेवल रास्ता मेंन रोड से जागीर इत्यादि के घर तक	393561
8	मनरेगा	27/17.11. 2021,निल/17.05.22	निर्माण जीपेवल रास्ता मुहल्ला ठाथ वार्ड–9	395063
9	एस.बी. एम	03/19.05.2022	निर्माण सार्वजनिक शौचालय खेल मैदान बेला लुदयाडचा–2 ,वार्ड–5	35744
10	एस.बी. एम	03/19.05.2022	निर्माण सार्वजनिक शौचालय खेल मैदान बेला लुदयाडचा–3 ,वार्ड–5	35744
11	वी.के.वी. वाई.एन	01/11.05.2022	निर्माण रोड ख्बाजी से लेकर मुहल्ला ढांगू की ओर वार्ड–2	107232
12	वी.के.वी. वाई.एन	03/11.05.2022	निर्माण रोड हैण्डपम्प बेला ठाकरा से लेकर नवें घर की ओर वार्ड–4	142976
13	मनरेगा	निल,निल/30.05. 22,17.05.22	निर्माण मोक्षधाम बेला ठाकरा वार्ड–4	244332

14	मनरेगा	निल / 30.05.22	निर्माण क्रिकेट खेल मैदान वार्ड–5	254100
15	मनरेगा	निल / 30.05.22	सुरक्षा दीवार खेल मैदान व पंचवटी चारो ओर	159654
16	मनरेगा	निल / 30.05.22	अपवर्धन खेल मैदान बेला लदयारचा	145140
17	मनरेगा	निल / 17.05.22	निर्माण जीपेवल रोड नेहर से मेन रोड वार्ड–1	134435
18	मनरेगा	निल / 17.05.22	निर्माण जीपेवल रास्ता लिंक रोड से वीर सिंह वार्ड–4	134435
			कुल योग	**2669902**

उक्त निर्माण कार्यो की माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे सचिव ग्राम पंचायत रियाली से अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग / अ0वृ0कां / 2024 / 126 दिनांकः 20 / 03 / 2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–जी.पी.रियाली / 01 दिनांक 20 / 03 / 2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि आगामी अंकेक्षण में माप पुस्तिकाओं को प्रस्तुत कर दिया जायेगा। प्रस्तुत उत्तर तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः संबंधित माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत न कर पाने का औचित्य स्पष्ट करते हुये अपेक्षित अभिलेख हि•प्र• पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 101 (2) (III) की अनुपालना सहित अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाये।

9 राशि ₹44.00 लाख के निर्माण कार्यो से संबन्धित स्वीकृति / कार्य आदेश, प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति प्रस्तुत न करने बारेः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94, 95 व 101 के अनुसार किसी भी विकास कार्य का निष्पादन प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति व प्राक्कलन तैयार किये बिना नहीं किया जा सकता।

ग्राम पंचायत रियाली की नमूना अंकेक्षण के दौरान पाया गया निम्न विवरणानुसार कनिष्ठ अभियन्ता स्तर पर करवाए गए निर्माण कार्यो के प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, कार्य आदेश, प्राक्कलन इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए जिसके अभाव मे उक्त कर्मचारी के स्तर पर किये गये कार्यो व उसमें प्रयुक्त सामग्री / लेबर के व्यय खपत की सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी :–

क्र0 सं0	अवधि	अनुदान	निर्माण कार्य	स्वीकृत राशि	अभिलेख जो प्रस्तुत नहीं किये गये
1.	2021–22	मनरेगा	अपवर्धन खेल मैदान बेला लदयारचा बास्केट बॉल फिलिंग	500000	प्राक्कलन, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, कार्य आदेश, माप पुस्तिका
2	2021–22	मनरेगा	अपवर्धन खेल मैदान बेला लदयारचा क्रिकेट फिलिंग	500000	कार्य आदेश, प्राक्कलन, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, माप पुस्तिका
3	2021–22	मनरेगा	निर्माण जीपेवल रास्ता वार्ड–4 ग्रा.प. रियाली	500000	कार्य आदेश, प्राक्कलन, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, माप पुस्तिका
4	2021–22	मनरेगा	निर्माण जीपेवल रास्ता मेंन चौक से सरवन के घर तक	500000	कार्य आदेश, प्राक्कलन, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, माप पुस्तिका
5	2021–22	मनरेगा	निर्माण जीपेवल रास्ता मेंन रोड से जागीर इत्यादि के घर तक	500000	कार्य आदेश, प्राक्कलन, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, माप पुस्तिका
6	2021–22	मनरेगा	निर्माण जीपेवल रास्ता मुहल्ला ठाथ वार्ड–9	500000	कार्य आदेश, प्राक्कलन, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, माप पुस्तिका
7	2022–23	VKVNY/ SDP	निर्माण रोड ख्बाजी से लेकर मुहल्ला ढांगू की ओर वार्ड–2	400000	कार्य आदेश, प्राक्कलन, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, माप पुस्तिका
8	2022–23	मनरेगा	सुरक्षा दीवार खेल मैदान व पंचवटी चारो ओर	500000	कार्य आदेश, प्राक्कलन, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, माप पुस्तिका
9	2022–23	मनरेगा	निर्माण जीपेवल रास्ता मुहल्ला ठाथ वार्ड–9	500000	कार्य आदेश, प्राक्कलन, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति, माप पुस्तिका
			कुल योग	**4400000**	

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक:राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/126 दिनांक:–20.03.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या:–जी.पी.रियाली/01 दिनांक 20/03/2024 द्वारा सूचित किया कि उक्त अभिलेखों को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जायेगा। प्रस्तुत उत्तर तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः इस सन्दर्भ में अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

10 ₹4.16 लाख का भुगतान मूल बिल की अपेक्षा प्रोफार्मा बिल पर ही करना:–

पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 47(1 व 2) के अनुसार पंचायत निधियों से किये गये प्रत्येक व्यय को समुचित वाउचर से समर्थित किया जाना अपेक्षित है।

चयनित माह के वाउचरों के अवलोकन में पाया गया कि निम्नतालिका के अनुसार मनरेगा अनुदान के अंतर्गत सामग्री खरीदने हेतु किये गये भुगतान ₹415711/– के व्यय के विरूद्ध विक्रेता अथवा आपूर्तिकर्ता के उचित आपूर्ति बिल उपलब्ध नहीं थे। इस मामले में पंचायत द्वारा एक मुद्रित प्रोफॉर्मा, जैसा कि आमतौर पर अन्य सरकारी विभागों द्वारा आपूर्तिकर्ता के बिल के साथ विभागीय प्रयोग हेतु आवरण वाउचर (covering voucher proforma) के रूप में प्रयोग किया जाता है, में ही आपूर्तिकर्ता की रसीद दर्शाई गई थी। आपूर्तिकर्ता के बिल तथा उचित रसीद के अभाव में यह व्यय सही प्रतीत नहीं होता है। यह एक अत्यंत गम्भीर अनियमितता है।

क्र0सं0	अनुदान	वाउचर/ दिनांक	आपूर्तिकर्ता	सामग्री	राशि
1	मनरेगा	15/17.11.21	मै0रूद्र इंटरप्राईजेस धोलपुर ततवाली	इंटरलॉकिंग ब्लॉक (जी.एस.टी. सहित)	128304
2	मनरेगा	18/17.11.21	मै0रूद्र इंटरप्राईजेस धोलपुर ततवाली	इंटरलॉकिंग ब्लॉक	35640
3	मनरेगा	21/17.11.21	मै0रूद्र इंटरप्राईजेस धोलपुर ततवाली	इंटरलॉकिंग ब्लॉक (जी.एस.टी. सहित)	128304
4	मनरेगा	निल/ 30.05.22	मै0 भारती इंटरप्राईजेस बहादुरपुर भोजपुर	पाईप,सीट,पतरा इत्यादि (जी.एस.टी. सहित)	123463
				कुल योग	**415711**

इस गम्भीर प्रकरण को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/126 दिनांकः 20/03/2024 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत रियाली के ध्यानार्थ लाया गया जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या जी.पी. रियाली/01 दिनांक 20.03.2024 द्वारा सूचित किया गया कि मूल बिलों को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जायेगा। प्रस्तुत उत्तर तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया। अतः इन प्रकरणों तथा इनके जैसे अन्य प्रकरणों की पंचायत द्वारा उच्च विभागीय स्तर पर गहन जांच करके वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा वस्तुस्थिति नियमानुसार कार्यवाही करते हुए भविष्य हेतु इस कार्यविधि को तुरन्त प्रभाव से बन्द करते हुए व कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

11 निर्माण कार्यों से सम्बन्धित विसंगतियांः—

निर्माण कार्यों से सम्बन्धित वाउचर नस्तियों में उपलब्ध बिल/वाउचरों के नमूना अंकेक्षण उपरान्त तथा पैरा संख्या "8" के अंतर्गत दिखाये गये व्यय के अनुसार निर्माण कार्यों के सन्दर्भ में पाया गया कि निर्माण कार्य निष्पादन हेतु हि•प्र• पंचायती राज (वित्त बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 में प्रावधित नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही है। इन बिलों में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई हैं:—

1. नियम 96(1) की अनुपालना में अनुभागी/संकर्म समिति नहीं बनाई गई थी जिसके साथ निर्धारित समयावधि के भीतर कार्य निष्पादन हेतु पंचायत द्वारा उक्त नियमावली के **"परिशिष्ट – ई"** में दिए गए "अनुबन्ध" प्रारूप में अनुबन्ध हस्ताक्षरित किया जाना अपेक्षित था।

2. हि•प्र• पंचायती राज (वित्त बजट लेखे ,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के उप नियम 93 (1) (ए) के अनुसार ग्राम पंचायत को प्रत्येक निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु सहभागी समिति का गठन करना अनिवार्य है ताकि निर्माण कार्यो में पारदर्शिता स्थापित की जा सके। अंकेक्षण अवधि के अंतर्गत ग्राम पंचायत रियाली द्वारा निर्माण कार्यो के निष्पादन हेतु सहभागी समिति का गठन नहीं किया गया व सभी कार्य सहभागी समिति के अनुमोदन के बिना स्वयं करवाए गए है, जोकि पंचायती राज अधिनियम 2002 के अध्याय– ग्यारह के नियम 93 की अवहेलना है।

3. नियम 104(2)(1) तथा 105 की अनुपालना में निर्माण कार्यों की नमूना जाँच मापन पुस्तिका में सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों जैसे कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, आदि द्वारा नहीं की गई थी।

4. किसी भी योजना में निर्माण सामग्री आपूर्ती के बिलों को कनिष्ठ अभियन्ता/तकनीकी सहायक द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था जिसके कारण किये गये भुगतान की प्रमाणिकता संदिग्ध हो जाती है।

5. निर्माण कार्यो के बिलो के भुगतान के समय पंचायत द्वारा नियमानुसार टी.डी.एस, रॉयल्टी की अपेक्षित कटौती नहीं की थी।

इन अनियमितताओं बारे अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/126 दिनांकः 20.03.2024 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत रियाली को अवगत करवाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः--जी.पी. रियाली/01 दिनांक 20.03.2024 द्वारा सूचित किया गया कि वतर्मान समय से इन नियमों की अनुपालना की जा रही है।

अतः उपरोक्त नियमों की अवहेलना किये जाने बारे उचित स्पष्टीकरण के अतिरिक्त भविष्य हेतु नियमानुसार कार्य करना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत सुधारात्मक कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

12 नियमों की अवहेलना करते हुए महत्वपूर्ण अभिलेखो का अनुरक्षण न करनाः--

हि• प्र• पंचायती राज (वित्त बजट लेखे ,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि•प्र• पंचायती राज सामान्य नियम 34 के अन्तर्गत प्रावधित महत्वपूर्ण अभिलेख/रजिस्टरों का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/114 दिनांकः 13.03.2024 के क्रमांक 9 में मांगी गई जानकारी के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव कार्यालय पत्र संख्याः–जी.पी.रियाली/01 दिनांक 20.03.2024 द्वारा दी गई सूचना तथा पंचायत के लेखों के नमूना अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न रजिस्टर/अभिलेखों का पंचायत द्वारा अनुरक्षण नहीं किया गया था अथवा अनुरक्षण में नियमों की अवहेलना की गई थी , जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1.	निवेश रजिस्टर	01	12
2.	वर्गीकृत सार	8	29(4)
3.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	09	30
4.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	––	7(3) एवं 10(1) तथा "प्रारूप–5" के आरम्भ में दी गई टिप्पणी
5	वार्षिक बजट नियमों की अवहेलना करते हुये पंचायत के कार्यवाही	11	37

	रजिस्टर में ही दर्ज किया गया है।		
6	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
7	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
8	निर्माण कार्य रजिस्टर	....	103
9	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1) ए बी
10	पंचायत प्रतिनिधियों एवं सहायक कर्मचारियों को दिये जाने वाले मानदेय/वेतन का रजिस्टर	....	....
11	निर्माण कार्यों की खण्ड विकास अधिकारी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृतियों का रजिस्टर	31	95(1)

उपरोक्त महत्वपूर्ण अभिलेख को अनुरक्षित न किए जाने अथवा अनुरक्षण में नियमों की पूर्ण पालना न करने बारे वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने के अतिरिक्त अब प्राथमिकता के आधार पर इस अभिलेख का अनुरक्षण किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

13. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना:–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **73** के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा नियमानुसार कभी भी प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था। जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका।

अतः समय–समय पर स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। यह एक गंभीर अनियमितता है।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/114 दिनांकः 13.03.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–जी.पी.रियाली/01 दिनांक 20.03.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में भौतिक सत्यापन करवा लिया जायेगा। प्रस्तुत उत्तर तथ्यरहित होने के कारण तर्कसंगत नही है।

अतः इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

अन्य विविध अंकेक्षण आपतियां:—

14.1 रसीद बुकों का स्टॉक नियमानुसार न रखा जाना:—

रसीद बुकों के स्टॉक के अवलोकन में पाया गया कि इसे हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त,बजट,लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5 (5) के प्रावधानों के अनुसार नहीं रखा जा रहा है। इस नियम के अनुसार जिला पंचायत अधिकारी से प्राप्त खाली रसीद बुको का अभिलेखन सामान्य स्टॉक रजिस्टर से अलग हि0प्र0 पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 34 में प्रावधित फॉर्म—2 में रसीदों के स्टॉक रजिस्टर में रखा जायेगा।

इसके अतिरिक्त हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त,बजट,लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 13 (5) के अनुसार पंचायत सचिव का यह वैधानिक दायित्व है कि वह जिला पंचायत अधिकारी द्वारा प्राधिकृत/खाली रसीदो को प्राप्त करते समय तथा उपयोग हेतु जारी करने का अभिलेख प्रारूप—4 के अनुसार बनाए गये स्टॉक रजिस्टर में रखे।

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान इस प्रकार का कोई अभिलेख तैयार नहीं किया गया था, जिस कारण से अंकेक्षण अवधि के दौरान खरीदी गयी तथा प्रयोग की गई रसीदों का न तो संकलित विवरण तैयार किया जा सका तथा न ही पूर्ण अंकेक्षण जाँच संभव हो पाई। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण अवधि के दौरान लेखांकित की गई आय भी रसीदों के अभिलेख के अभाव में संदिग्ध हो जाती है। अतः इस अनियमितता के बारे में तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के अतिरिक्त इस अवधि के दौरान खरीदी गई रसीदों का अभिलेख पंचायत अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करके इनके प्रयोग का विवरण तैयार करना सुनिश्चित किया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

15 **लघु आपति विवरणिका:—** लघु आपत्तियों को मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई।

16 **निष्कर्षः–** लेखों के रख रखाव में हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियमों एवं समय–2 पर जारी निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही है, जिस कारण से लेखाओं के रख–रखाव में सुधार हेतु कड़े कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

2352-2356 फा0/50 06 JUN 2024

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)395/2024–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड फतेहपुर जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत रियाली, विकास खण्ड फतेहपुर, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

फा0/50

10 JUN 2024

ANNEXURE -1 "पैरा संख्या – 5.1(क)"

FINANCIAL POSITION OF GP RIYALI FOR THE YEAR 2021-22 & 2022-23

1 OWN SOURCES

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2021-22	52045.00	652680.00	704725.00	467246.00	237479.00
2022-23	237479.00	520635.00	758114.00	433581.00	324533.00

2 GRANTS-IN-AID

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2021-22	2610311.00	5761278.00	8371589.00	5634794.82	2736794.18
2022-23	2736794.18	9721974.32	12458768.50	9735431.57	2723336.93

SWARUP SINGH
Panchayat Secretary
Gram Panchayat.....Riyali
Dev Block Fatehpur Distt. Kangra (H.P.)
Dated.................................

ANNEXURE -2(पैरा संख्या - '5.1')

FINANCIAL POSITION OF GRANTS- IN- AID OF GP RIYALI FOR THE YEAR 2021-22 & 2022-23

SR.NO	PARTICULARS	YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
1	SBM/TSC	2021-22	313538.00	411920.00	725458.00	359261.00	366197.00
		2022-23	366197.00	13232.00	379429.00	379429.00	0.00
2	VKVNY/SDP	2021-22	53745.00	1630.00	55375.00	0.00	55375.00
		2022-23	55375.00	922654.00	978029.00	960790.00	17239.00
4	MPLAD	2021-22	22024.00	669.00	22693.00	0.00	22693.00
		2022-23	22693.00	647.00	23340.00	0.00	23340.00
5	PS	2021-22	23870.00	725.00	24595.00	0.00	24595.00
		2022-23	24595.00	759.00	25354.00	25354.00	0.00
6	ZP	2021-22	30916.00	40712.00	71628.00	66400.00	5228.00
		2022-23	5228.00	201.00	5429.00	0.00	5429.00
7	14TH FC	2021-22	1176349.00	22281.00	1198630.00	1175799.00	22831.00
		2022-23	22831.00	0.00	22831.00	0.00	22831.00
8	15TH FC	2021-22	989869.00	1666182.00	2656051.00	416175.82	2239875.18
		2022-23	2239875.18	1827307.00	4067182.18	1412684.25	2654497.93
9	MNREGA	2021-22	0.00	3617159.00	3617159.00	3617159.00	0.00
		2022-23	0.00	6957174.32	6957174.32	6957174.32	0.00

SWARUP SINGH
Panchayat Secretary
Gram Panchayat Riyali
Dev. Block Fatehpur, Distt. Kangra (H.P.)
Dated.................................

परिशिष्ट-3 (पैरा संख्या - 5 (ख))

कार्यालय ग्राम पंचायत रियाली विकास खण्ड फतेहपुर,जिला काँगड़ा हि0प्र0176058

बैंक प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत रियाली के दिनांक 01.04.2021 व 31.03.2023 को बैंक शेषः–

क	अनुदान	बैंक	खाता संख्या	बैंक शेष 01.04.21को	बैंक शेष 31.03.23 को
1	स्वःस्त्रोत/5वां वितायोग	का•के•सह•बैंक बडूखर	20052006820	52045	324533
2	टी•एस•सी/एस.बी.एम	का•के•सह•बैंक बडूखर	50055364632	313538	0
3	वी•के•वी•एन•वाई/एस•डी•पी	का•के•सह•बैंक बडूखर	50055364564	53745	21108
4	एम•पी•लेड	का•के•सह•बैंक बडूखर	50055364575	22024	23340
5	पी•एस	का•के•सह•बैंक बडूखर	50055364520	23870	0
6	जेड•पी	का•के•सह•बैंक बडूखर	50055363661	30916	7222
7	14वॉं वित्तायोग	का•के•सह•बैंक बडूखर	50055363638	1158574	0
8	15वॉं वित्तायोग	एच•जी•बैंक बडूखर	87880100051469	989869	2917333.68
	हस्तगत शेष			0	0
			कुल जोड.	**2644581**	**3293536.68**

SWARUP SINGH
Panchayat Secretary
Gram Panchayat...
Dev. Block Fatehpur
Dated.................................

25

परिशिष्ट–" 3·1"

ग्राम पँचायत रियाली विकास खण्ड फतेहपुर की दिनांक 31.03.2023 को बैंक समाधान विवरणी (पैरा सख्या– "4" के सन्दर्भ में)

बैंक समाधान विवरणी

क्र	विवरण	बैंक	खाता	अन्त शेष (₹)
1	स्वःस्त्रोत / 5वां वितायोग	का•के•सह•बैंक बड़ूखर	20052006820	324533
2	टी•एस•सी / एस.बी.एम	का•के•सह•बैंक बड़ूखर	50055364632	0
3	वी•के•वी•एन•वाई / एस•डी•पी	का•के•सह•बैंक बड़ूखर	50055364564	21108
4	एम•पी•लेड	का•के•सह•बैंक बड़ूखर	50055364575	23340
5	पी•एस	का•के•सह•बैंक बड़ूखर	50055364520	0
6	जेड•पी	का•के•सह•बैंक बड़ूखर	50055363661	7222
7	14वाँ वित्तायोग	का•के•सह•बैंक बड़ूखर	50055363638	0
8	15वाँ वित्तायोग	एच•जी•बैंक बड़ूखर	87880100051469	2917333.68
9	हस्तगत शेष			0
बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2023 का कुल योगः				₹3293536.68
दिनांक 31.03.2023 को बैंक समाधान विवरणी				
रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति के अनुसार (पैरा 4) अन्तशेषः–				₹3047869.93
पंचायत के बैंक खातों का दिनांक 31.03.2023 का अन्तशेष				₹3293536.68
अन्तरः–				245666.75

दिनांक 31.03.2023 को बैंक समाधान विवरणीः–

पंचायत के बैंक खातों का दिनांक 31.03.2023 को अन्तशेष	₹3293536.68
घटाव :–1.15वां वितायोग, वाउचर संख्या 38, रो.बही.पृ. 21 , दिनांक 31.03.23 को जारी, परन्तु भुगतान 01.04.23 को हुआ **₹24840**	
2.15वां वितायोग, वाउचर संख्या 39,रो.बही पृ. 21 , दिनांक 31.03.23 को जारी परन्तु भुगतान 01.04.23 को हुआ **₹150300**	
3.15वां वितायोग, वाउचर संख्या 40,रो.बही पृ. 21 , दिनांक 31.03.23	

SWARUP SINGH
Panchayat Secretary
Gram Panchayat ....
Dev. Block Fatehpur, Distt. Kangra (H.P.)
Dated..............................

26

को जारी परन्तु भुगतान 01.04.23 को हुआ ₹40241.75 4.15वां वितायोग, वाउचर संख्या 41,रो.बही पृ. 21 , दिनांक 31.03.23 को जारी परन्तु भुगतान 01.04.23 को हुआ ₹23727 5.15वां वितायोग, वाउचर संख्या 42,रो.बही पृ. 21 , दिनांक 31.03.23 को जारी परन्तु भुगतान 01.04.23 को हुआ ₹23727 कुल 262835.75	262835.75
पंचायत के बैंक खातों का दिनांक 31.03.2023 को संशोधित अन्तशेष	₹3030700.93
रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति के अनुसार (पैरा 4) अन्तषेष	₹3047869.93
वास्तविक अंतर	17169

Verified

SWARUP SINGH
Panchayat Secretary
Gram Panchayat...Riyali
Dev. Block Fatehpur, Distt. Kangra (H.P.)
Dated..................................

परिशिष्ट – 5 (पैरा संख्या – 6.1 से सन्दर्भित)

कार्यालय ग्रामपंचायत रियाली,विकास खण्ड फतेहपुर,जिला काँगड़ा हि0प्र0 176058

दिनांक 31–03–2023 को ग्राम पंचायत में वसूली हेतु शेष सम्पति कर/गृहकरः–

पंचायत क्षेत्र के निवासी परिवारों की कुल संख्याः 2021–22 में 650 तथा 2022–23 में 685 परिवारों का रु 50/– प्रति परिवार प्रतिवर्ष की दर सेः–

वितीय वर्ष	अथशेष	परिवार	गृहकर वार्षिक दर	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि ₹
2021-22	184835	650	50	32500	217335	146350	70985
2022-23	70985	685	50	34250	105235	5200	100035
	नोटः– दिनाँक 31.03.2023 को बकाया सम्पति कर/गृहकर की राशि ₹100035/– है।						

SWARUP SINGH
Panchayat Secretary
Gram Panchayat Riyali
Dev. Block Fatehpur, Distt. Kangra (H.P.)
Dated.................................

27

परिशिष्ट " 5 "

ग्राम पंचायत रियाली , विकास खण्ड फतेहपुर, विवाह पंजीकरण शुल्क दिनांक 31-03-2023 तक वसूली हेतु शेष (पैरा संख्या " 6.3 " में संदर्भित)

क्र० सं०	नाम	विवाह शुल्क रजि0पृ0स0	विवाह की तिथि	पंजीकरण तिथि	वसूली योग्य राशि	वसूली गई राशि	वसूली हेतु शेष राशि
1	शरीफ अली	निल	01.04.2021	12.04.2021	200.00	0.00	200.00
2	हासमदी	निल	26.03.2021	12.04.2021	200.00	0.00	200.00
3	लीमावीवी	निल	10.03.2021	25.03.2021	200.00	0.00	200.00
4	रीमावीवी	निल	23.04.2021	10.05.2021	200.00	0.00	200.00
5	रघुजीव सिंह	निल	08.04.2021	25.04.2021	200.00	0.00	200.00
6	मुहम्मद विलाल	निल	08.04.2021	25.04.2021	200.00	0.00	200.00
7	राकेश पाल	निल	04.05.2021	10.05.2021	200.00	0.00	200.00
8	रामेश चन्द	निल	05.05.2021	10.05.2021	200.00	0.00	200.00
9	अरूण कुमार	निल	30.04.2021	10.05.2021	200.00	0.00	200.00
10	संजीव कुमार	निल	12.05.2021	25.05.2021	200.00	0.00	200.00
11	शमशेर सिंह	निल	02.05.2021	25.05.2021	200.00	0.00	200.00
12	विनोद कुमार	निल	20.06.2021	30.06.2021	200.00	0.00	200.00
13	रमन कुमार	निल	25.07.2021	10.08.2021	200.00	0.00	200.00
14	अनिल कुमार	निल	04.05.2021	25.11.2021	400.00	0.00	400.00
15	रफी	निल	25.07.2021	10.08.2021	200.00	0.00	200.00
16	गुरमेल सिंह	निल	31.07.2021	10.08.2021	200.00	0.00	200.00
17	मक्खनदीन	निल	15.08.2021	25.08.2021	200.00	0.00	200.00
18	संजीव कुमार	निल	15.10.2021	25.10.2021	200.00	0.00	200.00
19	अक्षय कुमार	निल	08.10.2021	25.10.2021	200.00	0.00	200.00
20	वालकृष्ण	निल	14.10.2021	25.10.2021	200.00	0.00	200.00
21	मंजीत कुमार	निल	08.11.2021	25.11.2021	200.00	0.00	200.00
22	रमन कुमार	निल	08.11.2021	25.11.2021	200.00	0.00	200.00
23	जितेन्द्र सिंह	निल	निल	निल	400.00	0.00	400.00
24	प्रितम सिंह	निल	01.12.2021	15.12.2021	200.00	0.00	200.00
25	वलविन्द्र सिंह	निल	03.01.2022	10.01.2022	200.00	0.00	200.00
26	रविन्द्र सिंह	निल	23.01.2022	05.02.2022	200.00	0.00	200.00
27	रवि कुमार	निल	13.12.2021	05.02.2022	400.00	0.00	400.00
28	एम्पी कुमार	निल	22.01.2022	05.02.2022	200.00	0.00	200.00
29	सुखविन्द्र सिंह	निल	29.01.2022	10.02.2022	200.00	0.00	200.00
30	अक्षय कुमार	निल	20.02.2022	10.03.2022	200.00	0.00	200.00
31	लवप्रीत सिंह	निल	11.04.2022	21.04.2022	200.00	0.00	200.00
32	सराजदीन	निल	28.05.2022	01.06.2022	200.00	0.00	200.00
33	यूनस	निल	08.05.2022	25.05.2022	200.00	0.00	200.00
34	मुहम्मद जीमल	निल	08.05.2022	25.05.2022	200.00	0.00	200.00
35	मक्खन	निल	06.07.2022	20.07.2022	200.00	0.00	200.00
36	रोहित कुमार	निल	09.08.2022	25.08.2022	200.00	0.00	200.00

28

SWARUP SINGH
Panchayat Secretary
Gram Panchayat ....
Dev. Block Fatehpur Distt. Kangra
Dated..............................

37	शशी कुमार	निल	निल	25.09.2022	400.00	0.00	400.00
38	लियाकत अली	निल	22.08.2022	25.08.2022	200.00	0.00	200.00
39	हनीफ	निल	16.08.2022	25.08.2022	200.00	0.00	200.00
40	अमरजीत	निल	08.09.2022	25.09.2022	200.00	0.00	200.00
41	सुमलिन कौर	निल	07.10.2022	15.10.2022	200.00	0.00	200.00
42	परवेश कुमार	निल	02.12.2022	10.12.2022	200.00	0.00	200.00
43	परमीन्द्र कुमार	निल	06.03.2023	25.03.2023	200.00	0.00	200.00
44	बलबिन्द्र सिंह	निल	06.03.2023	25.03.2023	200.00	0.00	200.00
45	सलीम	निल	14.03.2023	20.03.2023	200.00	0.00	200.00
46	अमनदीप	निल	15.01.2023	20.03.2023	200.00	0.00	200.00
47	भुपिन्द्र सिंह	निल	09.03.2023	25.03.2023	200.00	0.00	200.00
48	पम्मी	निल	15.03.2023	25.03.2023	200.00	0.00	200.00
49	गुलाब दीन	निल	20.03.2023	28.03.2023	200.00	0.00	200.00
50	रेहमूदीन	निल	निल	25.03.2023	400.00	0.00	400.00
51	फिरोज अली	निल	08.03.2023	10.03.2023	200.00	0.00	200.00
				कुल	₹ 11,200.00	₹ 0.00	₹ 11,200.00

SWARUP SINGH
Panchayat Secretary
Gram Panchayat Riyali
Dev. Block Fatehpur, Distt. Kangra (H.P.)
Dated..................................

परिशिष्ट–"6" (पैरा संख्या "7.1" व "7.2" में सन्दर्भित)

ग्राम पंचायत रियाली विकास खण्ड फतेहपुर, जिला कांगडा हिमाचल प्रदेश ,स्टॉक/स्टोर की कय की गई सामग्री की प्रविष्टियां भंडार पुस्तिकाओं में न करना व औपचारिकताओं को पूर्ण किये विना स्टॉक/स्टोर कय करना।

अनुदान	वो.स. /दिनां	समाग्री का विवरण	विल.स. /दिनांक	आपूर्तिकर्ता	मात्रा	रेट	राशि ₹	टिप्पणी
1.MNREGA	01/17.11 .2021	Cement Bag	11155/24.0 9.2021	HP Civil Supply Kandori	145	357.54	51843.3	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
2.MNREGA	03/17.11 .2021	Filling Bazra	70/17.11.2 021	M/S Nadar Ali Duhag Bahadpur	95Cu3	325	30875	स्टॉक प्रविष्टि व निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
3.MNREGA	04/17.11 .2021	Filling Bazra	89/17.11.2 021	M/S Nadar Ali Duhag Bahadpur	95Cu3	325	30875	स्टॉक प्रविष्टि व निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
4.MNREGA	05/17.11 .2021	Filling Bazra	68/17.11.2 021	M/S Nadar Ali Duhag Bahadpur	95Cu3	325	30875	स्टॉक प्रविष्टि व निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
5.MNREGA	07/17.11 .2021	Sand	38/24.09.2 021	M/S Nadar Ali Duhag Bahadpur	26	1425	37050	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
		Agg.			52	1140	59280	
		Stone			27	950	25650	
6.MNREGA	09/17.11 .2021	Sand	36/24.09.2 021	M/S Nadar Ali Duhag Bahadpur	25	1425	35625	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
		Agg.			52	1140	59280	
		Stone			25	950	23750	
7.MNREGA	11/17.11 .2021	Sand	84/24.09.2 021	M/S Nadar Ali Duhag Bahadpur	28	1425	39900	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
		Agg.			54	1140	61560	
		Stone			26	950	24700	
8.MNREGA	13/17.11 .2021	Sand	40/24.09.2 021	M/S Nadar Ali Duhag Bahadpur	22	1425	31350	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
		Agg.			45	1140	51300	
		Stone			25	950	23750	
9.MNREGA	14/17.11 .2021	Cement Bag	11152/23.0 9.2021	HP Civil Supply Kandori	122	357.54	43619.88	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
10.MNREG A	15/17.11 .2021	Interlock tiles (60mm) Including GST	Nil/24.09.2 021	M/S Rudra Enterprises Dholpur Tatwali	7128	17.995	128268.36	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
11.MNREG A	17/17.11 .2021	Cement Bag	11154/24.0 9.2021	HP Civil Supply Kandori	42	357.54	15016.68	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
12.MNREG A	18/17.11 .2021	Interlock tiles (60mm) Including GST	Nil/Nil	M/S Rudra Enterprises Dholpur Tatwali	1980	17.995	35630.1	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
13.MNREG A	20/17.11 .2021	Cement Bag	11153/24.0 9.2021	HP Civil Supply Kandori	122	357.54	43619.88	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
14.MNREG A	21/17.11 .2021	Interlock tiles (60mm) Including GST	Nil/23.09.2 021	M/S Rudra Enterprises Dholpur Tatwali	7128	17.995	128268.36	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
14.MNREG A	23/17.11 .2021	Cement Bag	11156/23.0 9.2021	HP Civil Supply Kandori	465	357.54	166256.1	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
15.MNREG A	24/17.11 .2021	Cement Bag	11151/23.0 9.2021	HP Civil Supply Kandori	428	357.54	153027.12	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
16.MNREG A	27/17.11 .2021	Cement Bag	11158/23.0 9.2021	HP Civil Supply Kandori	465	357.54	166256.1	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
17 Own Source	01/19.05 .2022	Vivo Cell Phone	7490/10.05 .2022	M/s Guru Nanak Communication Fatehpur	1	18000	18000	स्टॉक प्रविष्टि व निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई

SWARUP SINGH
Panchayat Secretary
Gram Panchayat.....Riyali
Dev Block Fatehpur, Distt. Kangra (H.P.)
Dated..................................

29

18. SBM	03/19.05.2022	Cement Bag	1479757/05.04.2022	HP Civil Supply Kandori	200	357.44	71488	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
19.MNREGA	Nil/30.05.2022	Pipe Sheet,Patra Incdlg. GST	01/30.11.2021	M/S Bharti Enterprises Bahadpur Bhojpur	—	—	123463	स्टॉक प्रविष्टि व निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
20.MNREGA	Nil/17.05.2022	Sand	118/09.03.2022	M/S Nadar Ali Duhag Bahadpur	18	1425	25650	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
		Agg.			8	1140	9120	
		Stone			12	950	11400	
21.MNREGA	Nil/30.05.2022	TMT Sariya (12mm) Incdlg. GST	72/07.12.2021	M/S Nadar Ali Duhag Bahadpur	619	64.994	40231	स्टॉक प्रविष्टि व निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
22.MNREGA	Nil/30.05.2022	TMT Sariya (8,10,16mm) Incdlg. GST	73/07.12.2021	M/S Nadar Ali Duhag Bahadpur	—	—	39661	स्टॉक प्रविष्टि व निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
23.MNREGA	Nil/30.05.2022	Sand	105/28.01.2022	M/S Nadar Ali Duhag Bahadpur	30	1425	42750	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
		Agg 20mm.			40	1140	45600	
		Agg.40mm			16	950	15200	
24.MNREGA	Nil/30.05.2022	Sand	107/28.01.2022	M/S Nadar Ali Duhag Bahadpur	30	1425	42750	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
		Agg 20mm.			41	1140	46740	
		Agg.40mm			15	950	14250	
25.MNREGA	Nil/30.05.2022	Sand	109/28.01.2022	M/S Nadar Ali Duhag Bahadpur	29	1425	41325	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
		Agg 20mm.			40	1140	45600	
		Agg.40mm			14	950	13300	
26.MNREGA	Nil/30.05.2022	Sand	81/27.12.2021	M/S Nadar Ali Duhag Bahadpur	27	1425	38475	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
		Agg.			50	1140	57000	
27.MNREGA	Nil/30.05.2022	TMT Sariya (8,10,16mm) Incdlg. GST	78/07.12.2021	M/S Nadar Ali Duhag Bahadpur	—	—	38960	स्टॉक प्रविष्टि व निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
28.MNREGA	Nil/30.05.2022	TMT Sariya (8,10,16mm) Incdlg. GST	79/07.12.2021	M/S Nadar Ali Duhag Bahadpur	—	—	37836	स्टॉक प्रविष्टि व निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
29.MNREGA	Nil/30.05.2022	Sand	74/07.12.2021	M/S Nadar Ali Duhag Bahadpur	12	1425	17100	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
		Agg.			24	1140	27360	
30.MNREGA	Nil/30.05.2022	Rough Sand Filling (Incdlg. GST)	75/07.12.2021	M/S Nadar Ali Duhag Bahadpur	250	840	210000	स्टॉक प्रविष्टि व निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
31.MNREGA	Nil/30.05.2022	Frame with mesh Providing &Fixing (Incdlg. GST)	03/25.12.2021	M/S Bharti Enterprises Bahadpur Bhojpur	157.5m2	1013.679	159654	स्टॉक प्रविष्टि व निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
32.MNREGA	Nil/30.05.2022	Flat Pipe Net&Bolt (Incdlg. GST)	04/25.12.2021	M/S Bharti Enterprises Bahadpur Bhojpur	3	48300	145140	स्टॉक प्रविष्टि व निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
33.MNREGA	Nil/30.05.2022	Sand	111/28.01.2020	M/S Nadar Ali Duhag Bahadpur	25	1425	35625	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
		Agg.			51	1140	58140	
34.MNREGA	Nil/17.05.2022	Sand	124/23.03.2022	M/S Nadar Ali Duhag Bahadpur	24	1425	34200	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
		Agg.			21	1140	23940	
35.MNREGA	Nil/17.05.2022	Sand	126/23.03.2022	M/S Nadar Ali Duhag Bahadpur	24	1425	34200	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
		Agg.			21	1140	23940	
36.MNREGA	Nil/17.05.2022	Sand	133/23.03.2022	M/S Nadar Ali Duhag Bahadpur	42	1425	59850	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
		Stone			30	950	28500	
37.MNREGA	Nil/17.05.2022	Agg.	133/23.03.2022	M/S Nadar Ali Duhag Bahadpur	80	1140	91200	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
38.MNREG	Nil/17.0	Sand	130/23.03.	M/S Nadar Ali	45	1425	64125	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की

	5.2022	Stone	2022	Duhag Bahadpur	32	950	30400	गई
37.MNREGA	Nil/17.05.2022	Agg.	131/23.03.2022	M/S Nadar Ali Duhag Bahadpur	86	1140	98040	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
39.MNREGA	Nil/17.05.2022	Cement Bag	11165/25.04.2022	HP Civil Supply Kandori	157	357.54	56133.78	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
40.MNREGA	Nil/17.05.2022	Cement Bag	11168/25.04.2022	HP Civil Supply Kandori	157	357.54	56133.78	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
41.MNREGA	Nil/17.05.2022	Cement Bag	11167/25.04.2022	HP Civil Supply Kandori	157	357.54	56133.78	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
42.MNREGA	Nil/17.05.2022	Cement Bag	11162/25.04.2022	HP Civil Supply Kandori	157	357.54	56133.78	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
43.MNREGA	Nil/17.05.2022	Water Born Filling Sand,Agg (Incdlg. GST)	04/03.05.2022	M/S Nadar Ali Duhag Bahadpur	200Cu3	499.99	99999	स्टॉक प्रविष्टि व निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
44.MNREGA	Nil/17.05.2022	Water Born Filling Sand,Agg (Incdlg. GST)	05/03.05.2022	M/S Nadar Ali Duhag Bahadpur	200Cu3	499.99	99999	स्टॉक प्रविष्टि व निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
45.MNREGA	Nil/17.05.2022	Cement Bag	11163/25.04.2022	HP Civil Supply Kandori	376	357.54	134435.04	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
46.MNREGA	Nil/17.05.2022	Sand	143/25.04.2022	M/S Nadar Ali Duhag Bahadpur	42	1425	59850	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
		Stone			30	950	28500	
47.MNREGA	Nil/17.05.2022	Agg.	144/25.04.2022	M/S Nadar Ali Duhag Bahadpur	80	1140	91200	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
48.MNREGA	Nil/17.05.2022	Cement Bag	11164/25.04.2022	HP Civil Supply Kandori	376	357.54	134435.04	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
49.MNREGA	Nil/17.05.2022	Cement Bag	11166/25.04.2022	HP Civil Supply Kandori	215	357.54	76871.1	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
50.MNREGA	Nil/17.05.2022	Cement Bag	11161/25.04.2022	HP Civil Supply Kandori	199	357.54	71150.46	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
						G/Total	**4478813.64**	

नोट: 1. क्रम संख्या 1 से लेकर 50 तक स्टॉक प्रविष्टियां प्रस्तुत नहीं की गई हैं।
2. क्रम संख्या 2, 3, 4, 17, 19, 21, 22, 27, 28, 30, 31, 32 व 43, 44 की औपचारिकताओं को पूर्ण नहीं किया गया है।

SWARUP SINGH
Panchayat Secretary
Gram Panchayat Riyali
Dev. Block Fatehpur, Distt. Kangra (H.P.)
Dated...............................

30

परिशिष्ट– "7" (पैरा संख्या "7.3" में संदर्भित) ग्राम पंचायत रियाली, खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों से रायल्टी की कटौती न करने से राजस्व हानि

Name of Supplier	Vr. No. & Date	Bill No. & Date	Name of Item	Qty. (cum)	Determining Fator	Qty. (in MT.)	Royality (Per MT.)	Due Royality
1.MNREGA								
M/s Nadar Ali Duhag Bhadpur	07/17.11.2021	38/24.09.2021	Sand	26.000	1.62	42.120	80	3369.60
			Bajri	52.000	1.52	79.040	80	6323.20
			Stone	27.000	2.24	60.480	80	4838.40
do	09/17.12.2021	36/24.09.2021	Sand	25.000	1.62	40.500	80	3240.00
			Bajri	52.000	1.52	79.040	80	6323.20
			Stone	25.000	2.24	56.000	80	4480.00
do	11/17.11.2021	84/24.09.2021	Sand	28.000	1.62	45.360	80	3628.80
			Bajri	54.000	1.52	82.080	80	6566.40
			Stone	26.000	2.24	58.240	80	4659.20
do	13/17.11.2021	40/24.09.2021	Sand	22.000	1.62	35.640	80	2851.20
			Bajri	45.000	1.52	68.400	80	5472.00
			Stone	25.000	2.24	56.000	80	4480.00
do	Nil/17.05.2022	118/09.03.2022	Sand	18.000	1.62	29.160	80	2332.80
			Bajri	8.000	1.52	12.160	80	972.80
			Stone	12.000	2.24	26.880	80	2150.40
do	Nil/30.05.2022	105/28.01.2022	Sand	30.000	1.62	48.600	80	3888.00
			Bajri	16.000	1.52	24.320	80	1945.60
			Bajri	40.000	1.52	60.800	80	4864.00
do	Nil/30.05.2022	107/28.01.2022	Sand	30.000	1.62	48.600	80	3888.00
			Bajri	15.000	1.52	22.800	80	1824.00
			Bajri	41.000	1.52	62.320	80	4985.60
do	Nil/30.05.2022	109/28.01.2022	Sand	29.000	1.62	46.980	80	3758.40
			Bajri	40.000	1.52	60.800	80	4864.00
			Bajri	14.000	1.52	21.280	80	1702.40
do	Nil/30.05.2022	81/17.12.2021	Sand	27.000	1.62	43.740	80	3499.20
			Bajri	50.000	1.52	76	80	6080.00
do	Nil/30.05.2022	74/7.12.2021	Sand	12.000	1.62	19.440	80	1555.20
			Bajri	24.000	1.52	36.48	80	2918.40
do	Nil/30.05.2022	111/28.01.2020	Sand	25.000	1.62	40.500	80	3240.00
			Bajri	51.000	1.52	77.52	80	6201.60
do	Nil/30.05.2022	124/23.03.2022	Sand	24.000	1.62	38.880	80	3110.40
			Bajri	21.000	1.52	31.92	80	2553.60
do	Nil/17.05.2022	126/23.03.2022	Sand	24.000	1.62	38.880	80	3110.40
			Bajri	21.000	1.52	31.92	80	2553.60
do	Nil/17.05.2022	133/23.03.2022	Sand	42.000	1.62	68.040	80	5443.20
			Stone	30.000	2.24	67.200	80	5376.00
do	Nil/17.05.2022	134/23.03.2022	Bajri	80.000	1.52	121.6	80	9728.00
do	Nil/17.05.2022	130/23.03.2022	Sand	45.000	1.62	72.900	80	5832.00
			Stone	32.000	2.24	71.680	80	5734.40

SWARUP SINGH
Panchayat Secretary
Gram Panchayat Riyali
Dev. Block Fatehpur Distt. Kangra
Dated.................................

31

do	Nil/17.05.2022	131/23.03.2022	Bajri	86.000	1.52	130.72	80	10457.60
do	Nil/17.05.2022	143/25.04.2022	Sand	42.000	1.62	68.040	80	5443.20
			Stone	30.000	2.24	67.200	80	5376.00
do	Nil/17.05.2022	144/25.04.2022	Bajri	80.000	1.52	121.6	80	9728.00
							Total	**191348.80**
							25% Penalty	**47837.20**
							G.Total	**239186.00**

SWARUP SINGH
Panchayat Secretary
Gram Panchayat
Dev. Block Fatehpur
Dated.................................